संख्या- 10 / 2016 / 1536 / 22-4-15-50(7नि0) / 99टीसी

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-29 जनवरी, 2016

विषय- प्रदेश की 10 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-47111/आधु0-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक- 17 नवम्बर, 2015 एवं पत्र संख्या-49230/आधु0-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रथम चरण में 10 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश सख्या-192/2015/1137/22-4-15-50(7नि0)/99टीसी, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 द्वारा रू0 71,78,86,240/-(रूपया इकहत्तर करोड़ अठ्हत्तर लाख छियासी हजार दो सौ चालीस मात्र) की लागत पर प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त धनराशि मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड(ईसीआईएल) को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 71,78,86,240/-(रूपया इक्हत्तर करोड़ अठ्हत्तर लाख छियासी हजार दो सौ चालीस मात्र) मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड(ईसीआईएल) को आहरित कर अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त(लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय- समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अग्रिम दी जा रही धनराशि के समतुल्य कार्यदायी संस्था से बैंक गारण्टी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त(लेखा) अनुभाग-1 की अशासकीय पत्र संख्या-एफ0ए0-1-13/दस-2015, दिनांक 27 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी

संख्या-10/2016/1536(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, बी-2 डीडीए शापिंग काम्प्लेक्स, रिंग रोड नारायना, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।